झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 04.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0**	राँची विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मुहल्लों में पेयजल हेतु विभिन्न कम्पनियों यथा एल0 एण्ड0 टी0 नार्गाजुन आदि के द्वारा पाइप लाईन बिछाने के क्रम में पी0सी0सी0 एवं कालीकरण सड़क की खुदाई कर पाइप डाला जा रहा है लेकिन सड़कों को पुनः यथा स्थिति निर्माण नहीं किया जा रहा है। साथ ही सिवरेज ड्रेनेज के लिए भी जो पाइप लाइन बिछाई जा रही है जिसमें भी सड़को को जर्जर अवस्था में छोड़ दी जा रही है जिसके कारण नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है एवं खुदाई में निकले पत्थर आदि से आये दिन दुर्घटनायें हो रही है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जिसका खमियाजा हमलोग को भुगतना पड़ रहा है। अतः मै सरकार से जर्जर सड़कों को अविलम्ब यथा स्थिति में पूर्ण कराने हेतु ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	**नगर विकास एवं आवास**

01.	02.	03.	04.
02-	श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0	CNT/SPT Act 1908 की धारा 46 (1) (A) के नियमानुसार ऐसा नियम बनाया गया कि अनुसूचित जनजाति की जमीन जहाँ के निवासी है, उसी राजस्व थाना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के द्वारा क्रय-विक्रय की जा सकेगी। सन 1908 के समय राजस्व थाना का क्षेत्रफल आज के जिले के क्षेत्रफल से भी ज्यादा था। समय-समय पर गृह,, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड द्वारा लॉ एण्ड ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए पुलिस थाना का निर्माण कराया जाता रहा है जो वर्त्तमान में लगभग 606 थाने हैं। CNT/SPT Act में पुलिस थाना का उल्लेख होने के कारण अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि के क्रय-विक्रय करने हेतु गृह कारा एवं आपदा विभाग द्वारा बनाये गये पुलिस थाना को आधार मानकर उपायुक्त के न्यायालय के द्वारा अन्तरण की अनुमति दी जा रही है जिसके कारण वर्त्तमान में अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-बिक्री की दायरा अत्यंत ही कम हो गया है। वर्ष 1938 में CNT/SPT Act 1908 की धारा 46 में संशोधन कर पुलिस थाना का उल्लेख किया गया परन्तु 1938 से आज तक धारा 46 में पुलिस थाना को लेकर न तो किसी प्रकार का संशोधन किया गया या नियमावली बनाई गई न ही राजस्व विभाग द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया। CNT/SPT Act की धारा- 264 के तहत् अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-बिक्री का दायरा बढ़ाने हेतु नियमावली बनाकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। अतः उक्त संदर्भ में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
03-	श्रीमती सीता सोरेन स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0	फुलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका को सुचारू रूप से संपादन करने हेतु कुल 125 चिकित्सकों एवं चिकित्सकों का बल स्वीकृत है इसमें से मात्र 30 बल से ही कॉलेज एवं अस्पताल को संचालन किया जा रहा है। जिससे मेडिकल छात्र-छात्राओं एवं संथालपरगना के गरीब जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि चिकित्सकों के तत्काल अवश्यकता पूर्ती हेतु कुल 95 रिक्त मानव बल प्रतिनियुक्त कराया जाए।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
04-	श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0	झारखण्ड प्रदेश के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भूमि संबंधी विवाद के कारण हत्या, विवाद मुकदमा होते हैं, कारण हाल सर्वे में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होना है और रैयतों को गलत खाता मिल जाना है। रजिस्टर-II के माध्यम से रैयतों के कागजातों एवं जमीन का अनुरक्षण करते हुए ऑन-लाईन डाटा प्रविष्टि कर हकदारों को खाता (खतियान) उपलब्ध करा देने से ऐसे मामलों पर निजात पाया जा सकता है। अतः सदन के माध्यम से राज्य सरकार से माँग करते है कि रजिस्टर-II पंजी को ऑन-लाईन डाटा प्रविष्टि कराया जाय, जिससे आम रैयतों को सुविधा होगी।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार
05-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0	हजारीबाग जिला अन्तर्गत बकागाँव प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंदलपुरा समेत आस-पास के कई गाँव की गैरमजरूआ भूमि अडानी पावर लिमिटेड को बगैर ग्रामीणों के सूचना व सहमति के हस्तांतरित कर दी गई है जिसका उक्त क्षेत्र के ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि उक्त क्षेत्र बहुफसलीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जहाँ सालों भर उन्नत फसलें उपजायी जाती है इसके अलावा यह क्षेत्र हाथी के गलियारे से होकर गुजरता है।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा विगत दिनों ग्रामसभा इत्यादि करने के प्रयास पर ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध कर वापस कर दिया है क्योंकि निवास करने वाले लगभग 20 से 25 हजार ग्रामीण परियोजना के विरोध में है। अतः मैं हजारीबाग जिले के बड़कागाँव में अडानी इंटरप्राइजेज को हस्तांतरित की गई गैरमजरूआ भूमि के निर्णय को निरस्त कराने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 04 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-937/वि0 स0, राँची, दिनांक- 03/03/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-937/वि0 स0, राँची, दिनांक- 03/03/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

03.03.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

03/03/2023